



DCM SHRIRAM

| | |
|--|---|
| BSE Limited Phiroze JeeJeeBhoy Towers, Dalal Street, Mumbai – 400 001 | National Stock Exchange of India Ltd., “Exchange Plaza”, 5 th Floor, Plot No. C-1, G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai: 400 051 |
| SCRIP CODE: 523367 | SCRIP CODE: DCMSHRIRAM |

Kind Attn. : Department of Corporate Communications/ Head Listing Department

Sub. : Submission under Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sirs,

Pursuant to Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find attached as under :

- Letter sent to Shareholders (**Annexure I**) pursuant to provisions of Section 124(6) and 125 of the Companies Act, 2013 read with Rule 6 of Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, and
- Public Notice published in English and Hindi newspaper “Business Standard” dated 28.11.2016 in this regard (**Annexure II**).

This is for your information and records.

Thanking You
Yours Faithfully,
For DCM Shriram Ltd.

(Sameet Gambhir)
Company Secretary

Date : 28.11.2016

DCM SHRIRAM LTD.

Registered and Corporate Office: 1st Floor, Kanchenjunga Building, 18 Barakhamba Road, New Delhi - 110001, India
Tel: +91 11 23316801 Fax: +91 11 23318072 e-mail: response@dcmshriram.com website: www.dcmshriram.com
CIN No. L74899DL1989PLC034923 • (Formerly DCM Shriram Consolidated Ltd.)



DCM SHRIRAM LTD.

CIN : L74899DL1989PLC034923

Regd. Off. : 1st Floor, Kanchenjunga Building, 18, Barakhamba Road, New Delhi-110001

Tel : 011-23316801 Fax : 011-23318072

E-mail : response@dcmshriram.com Website : www.dcmshriram.com

IMPORTANT
COMMUNICATION

Reference No.

Folio No./ DP ID No.

No. of Equity shares

Dear Sir/Madam,

Sub. : Investor Education and Protection Fund (IEPF)

Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("Rules"), have prescribed the manner of dealing with the shares in respect of which dividend has remained unclaimed/un-paid for seven consecutive years or more. In compliance with the said Rules this letter of information is being sent to you as the dividend on your shares has not been en-cashed since 2008-09 as per the records of the Company. A public notice is also being issued with the list of all such shareholders on the Company's website at www.dcmshriram.com.

In case you have en-cashed any dividend warrant(s), during any of the last seven years, or have otherwise procured any orders from any Court/ Tribunal/Statutory Authorities, etc., as prescribed under the Rules, in respect of the said shares, you are advised to send a letter with written proof of en-cashment of the dividend warrant(s)/relevant document(s), as the case may be alongwith self attested Photo ID Proof and Address Proof, to the Company's registered office address within seven days, with a copy of the same via e-mail to response@dcmshriram.com, failing which the Company shall proceed to deal with the said shares as per the said Rules including but not limited to cancellation/issue of duplicates for the corresponding share certificates, if any, and/or transfer of the said shares to the prescribed account, and/or take such other actions as may be prescribed, under the Rules and any amendments thereto, from time to time.

For any queries, kindly contact the Company's Registrar and Share Transfer Agent - M/s. MCS Share Transfer Agent Ltd., F-65, Okhala Industrial Area, Phase - I, New Delhi - 110020 **Tel.:** 011-41406149-52
E-mail : helpdeskdelhi@mcsregistrars.com.

Please quote the reference number as above and your folio/DP ID number in all correspondence.

For DCM Shriram Ltd.
Sameet Gambhir
Company Secretary

Place: New Delhi
Date : 23.11.2016

Being a computerized communication no need of signature

बिजनेस स्टैंडर्ड

नई दिल्ली | 28 नवंबर 2016 सोमवार

राजस्थान में पुलिस सुरक्षा पर सेवा कर विवाद

उच्चतम न्यायालय ने राजस्थान सरकार की तरफ से दाखिल अर्जी को अस्वीकार करते हुए उसे सही मंच पर उठाने को कहा है। राजस्थान सरकार ने बैंकों और अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों में दी जाने वाली पुलिस सुरक्षा के एवज में सेवा कर लगाने को केंद्र सरकार की मांग को चुनौती दी थी। राज्य सरकार की दलील थी कि कानून-व्यवस्था के विभिन्न स्तरों पर केंद्रीय संस्थानों को अतिरिक्त सुरक्षा बल मुहैया कराना एक सार्वभौम गतिविधि है लिहाजा उस पर सेवा कर नहीं लगना चाहिए। राज्य सरकार ने इस मुद्दे को विभिन्न मंचों पर उठाया। आखिर में यह मामला सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपील्रीय अधिकरण में पहुंचा जहां पर इसकी सुनवाई चल रही है। राजस्थान सरकार मामले को उच्चतम न्यायालय लेकर गई, लेकिन न्यायालय ने कहा कि न्यायिक मंच के दो विकल्पों का

डीसीएम श्रीराम लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: प्रथम तल, कंचनजंगा बिल्डिंग,
1A, बाराखंबा रोड, नई दिल्ली - 110001,
टेली : 011-23316801, फ़ैक्स : 011-23318072
सीआईएन : एल74899डीएल1989पीएलसी034923
ई-मेल : response@dcmshriram.com
वेबसाइट : www.dcmshriram.com

नोटिस

(कंपनी की इक्विटी शेयरधारकों के ध्यान के लिए)

यह नोटिस कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विनिर्धानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, संपरीक्षा अंतरण और प्रतिदाय) नियम, 2016 के प्रावधानों के संदर्भ में प्रकाशित किया जा रहा है, जो कि 7 सितम्बर, 2016 से लागू है।

उपरोक्त नियमों में उन शेयर के विषय में जिनका लामांश पिछले सात सालों से मुनाया नहीं गया है अथवा जिनका दावा नहीं किया गया है, उन शेयरों के साथ व्यवहार का तरीका निर्धारित किया गया है। इन नियमों के अनुपालन में प्रत्येक शेयरधारक जिसने कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार 2008-09 से इक्विटी शेयर के संबंध में लामांश नहीं मुनाया है, उन्हें इस पत्र द्वारा इसकी जानकारी उनके नवीनतम उपलब्ध पते पर भेजी जा रही है तदनुसार यह सूचना जारी की जा रही है। ऐसे शेयरधारकों की सूची कंपनी की वेबसाइट www.dcmshriram.com पर उपलब्ध कराई जा रही है।

कोई भी संबंधित शेयरधारक जिसने पिछले सात सालों में लामांश मुनाया है लेकिन उनका नाम संपरोक्त सूची में उपलब्ध है अथवा जिन्होंने किसी अदालत/न्यायाधिकरण/वैधानिक प्राधिकरण इत्यादि से इन नियमों के आधीन अन्य कोई आदेश लिया है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे एक पत्र के साथ लामांश मुनाये जाने का लिखित सबूत/सम्बन्धित दस्तावेजों के साथ, जैसा भी मामला हो, स्वयं अभिप्रमाणित फोटो पहचान प्रमाण-पत्र और पते के सबूत के साथ कंपनी के पंजीकृत पते पर सात दिनों के अंदर भेजे तथा इसकी प्रति ईमेल द्वारा response@dcmshriram.com पर भेजे। ऐसा न करने पर कम्पनी इन शेयरों के साथ इन नियमों के अनुसार कार्यवाही करेगी जिसमें ये भी शामिल है कि इन शेयरों के प्रमाण-पत्र को रद्द करने या इनके स्थान पर डुप्लीकेट शेयर प्रमाण-पत्र जारी करने (यदि कोई है) या/और इन शेयरों का निर्धारित खाते में हस्तांतरण या/और अन्य कोई कार्यवाही इन नियमों या इनमें समय-समय पर संशोधन के अंतर्गत की जायेगी।

किसी भी प्रकार के प्रश्नों के लिये कृपया कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट: मैसर्स एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड, एफ-65, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेस-1, नई दिल्ली-110020, टेल. 011-41406149-52, ई-मेल. helpdeskdelhi@mcsregistrars.com से संपर्क कर सकते हैं।

कृते डीसीएम श्रीराम लिमिटेड

हस्ता/-

समीत गंभीर

कंपनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 23.11.2016

जैसा कि
के तहत
प्रदत्त शा
03.08.20
कुमार) के
श्री रजनी
और श्री
नई दिल्
स्ताईस
अदा क
कर्जदार
सूचित
अधिकृत
25 नवंबर
विशेष
किया उ
स्ताईस
इंडियन

श्री निधि
समस्त
वर्ग गण
विभाजन
पंजीकृत
नं. 357
परिबद्ध
श्री निधि
समस्त
वर्ग गण
इस प

